

Form No. III
 फर्द अहकाम
 (नियम 26)

App-Z
 crim-I

जज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

श्रीमति सुन्दरवई

बनाम श्री लक्ष्मीचन्द

कसम मुकदमा : प्रा.पत्र

नं० 59

सन् 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
06/22/2023	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली वारंते अवाव दिनांक 11/07/2023 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	<p>Not press राजीनामा होने के कारण फरद के कोर्ट कार्य नहीं चलाए जा रहे हैं</p> <p style="text-align: center;">(C)</p>
07/2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वारी अस्थिर। वकील वारी ने न्यायालय में अस्थिर हो वारी व जतिवारी के बीच में आपसी शर्तनामा होने का विकल्प किया और पत्रावली अग्रिम कोर्ट कार्यवाही नहीं चलाने का विकल्प कर पत्रावली/वार-पत्र को Not-press किया। पत्रावली का अदलोकन किया। वारी व जतिवारी के बीच आपस में शर्तनामा हो जाने तथा वकीलवारी द्वारा पत्रावली को Not-press करके से पत्रावली को इसी स्तर पर बिन्दो में खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल नुमांर होकर कम्बर से काम की जाकर वार-पत्र के साथ शामिल सप्तर हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा</p>	